

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या रजि० न० प्रवेश तिथि निर्णय दिनांक  
12/10/2026 2026/12 22.01.2026 11.03.2026

1. उमराव पुत्र श्री जिन्सी, जाति मीना, निवासी ग्राम झालाटाला, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज०)।

— रेस्पोडेन्ट्स



अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़  
दिनांक 22.12.2025 प्रकरण संख्या 18/2025

उपस्थित:-

01. श्री सतीश चन्द जैन

02. राजकीय अभिभाषक

—वकील अपीलाण्ट

—वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 22.12.2025 प्रकरण संख्या 18/2025 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दिनांक 22.12.2025 प्रकरण संख्या 18/2025 के खिलाफ यह प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। अपील हाजा पर नियमानुसार न्याय शुल्क 2/- रुपया व तलबाना सशुल्क चस्पा कर पेश की जा रही है। आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ अलवर के निर्णय दिनांक 22.12.2025 की सत्य प्रतिलिपी अपील के साथ संलग्न कर पेश की जा रही हैं। आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, अलवर निर्णय दिनांक 22.12.2025 का है, जिसकी नकल के लिए तहत अदालत में प्रार्थनापत्र दिनांक 14.01.2026 को पेश किया गया, जो नकल दिनांक 14.01.2026 को ही तैयार होकर उसी दिन दिनांक 14.01.2026 को सायंकाल प्राप्त हुई। इसलिये नकल तैयारी के दिन मियाद में मुजरा देने से अपील अंदर मियाद अदालत श्रीमान में पेश की जा रही है। पटवारी हल्का झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान ने तहत अदालत तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि उमराव पुत्र जिन्सी जाति मीना निवासी झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान ने ग्राम झालाटाला की आ० ख० नं० 259 रकबा 2.63 हैक्टेयर किस्म गै०मु० रास्ता में से रकबा 0.03 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बाजरा की काश्त कर ली हैं। जिस पर तहत अदालत तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ अलवर में प्रकरण संख्या 18/2025 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया। और अपीलान्ट्स को नोटिस मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत जारी कर तलब किया गया। तथा तहत अदालत द्वारा उक्त प्रकरण का आलोच्य निर्णय दिनांक 22.12.2025 से निस्तारण किया जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल किए जाने, एवं अर्थदण्ड 8/- रूपयें से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि विरुद्ध व बेजा तरीक पर पारित किए गए हैं। कि जिस निर्णय से असन्तुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं, जो कि निम्न आधार पर स्वीकार होने योग्य हैं, तथा आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्त किए जाने योग्य हैं। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय मौके, कब्जे एवम राजस्व रिकार्ड के खिलाफ विधि विरुद्ध पारित किया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय तहत अदालत निरस्त होने योग्य है। निरस्त फरमाया जायें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान की आ० ख० नं० 259 रकबा 2.63 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन रास्ता में से रकबा 0.03 हैक्टेयर पर मिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा अतिक्रमण नहीं है। मिन अपीलान्ट ने उक्त गैरमुमकिन रास्ता की आराजी पर कोई नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा नहीं किया है, ना ही बाजरा की काशत की हैं। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये, मिन अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की हैं। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए मिन अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो गलत एवं मौके व राजस्व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। निरस्त फरमाया जायें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत द्वारा जारी नोटिस में मिन अपीलान्ट द्वारा ग्राम झालाटाला की आ० ख० नं० 259 रकबा 2.63 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन रास्ता में से रकबा 0.03 हैक्टेयर पर बाजरा की काशत कर अतिक्रमण करना बताया गया है। जबकि उपरोक्त विवादित आराजी मिन अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान की कब्जे काशत खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 120, 123, 124 वाके ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान से लगती हुई है। जिस आराजी के तरफ दक्षिण में ग्रेवल रोड जारी हैं, जिस ग्रेवल रोड से काशतकारान आवागमन करते हैं, ग्रेवल रोड के तरफ दक्षिण खसरा नंबर 260 261 ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान स्थित है। खसरा नंबर 260, 261 के खातेदारान द्वारा खसरा नंबर 259 का सीमाज्ञान कराने के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया। सीमाज्ञान कराये जाने से पूर्व या कराते वक्त मिन अपीलान्ट को कोई विधिवत नोटिस या सूचना किसी तरह नहीं दी गई। मिन अपीलान्ट के पीछे से सीमाज्ञान हेतु गठित टीम द्वारा किया गया, तथा खसरा नंबर 260, 261 के खातेदारान से मिलकर गलत रूप से पैमाईश की गई, और रास्ते की मौजूदा स्थिति में तब्दील कर दिया, तथा रास्ते की सीमा मिन अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान की आराजी खसरा नंबर 120, 123, 124 में होना दर्शित कर दिया। जबकि मिन अपीलान्ट की आराजी में होकर कोई गैरमुमकिन रास्ता मौके पर मौजूद नहीं हैं, गैरमुमकिन रास्ता मौजूदा स्थिति में कायम हैं, उस पर ग्रेवल सडक करीब 5-6 साल पूर्व से बनी हुई हैं, वर्तमान में गैरमुमकिन रास्ता चालू अवस्था में हैं। पैमाईश के वक्त आराजी में बाजरा की फसल खड़ी हुई थी, तथा विवादित रास्ता के आस पास सभी खेतों में बाजरा की फसल खड़ी हुई थी, फसल खड़ी होने की स्थिति में पैमाईश होना किसी भी प्रकार संभव नहीं है, पैमाईश खेत खाली हो जाने पर ही संभव हैं। परन्तु तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को जवाब नोटिस व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये, बिना ही पटवारी हल्का झालाटाला की गलत रिपोर्ट के आधार पर मिन अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में वर्णित उक्त विवादित आराजी मिन अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान की कब्जे काशत खातेदारी की उक्त आराजी से लगती हुई हैं। ऐसी स्थिति में धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। किन्तु तहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया। तथा निर्णय तहत अदालत द्वारा साईक्लोस्टाईल के छपे छपाये फार्म पर पारित किया गया है, जो निर्णय विधिक निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। तथा तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई जवाब नोटिस व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये, पारित किया है। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। मिन अपीलान्ट का कब्जा विधिपूर्ण हैं, मिन अपीलान्ट को कानूनन अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। मिन अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा जवाब नोटिस व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया है। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

उक्त विवादित भूमि पर मिन अपीलान्ट ने कोई नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा नहीं किया है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये, व बिना पैमायश किये, तहत अदालत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। तहत अदालत ने बिना जाँच व मौका निरीक्षण किये, पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर बिना पटवारी हल्का के बयान लिये, अपीलान्धीन निर्णय पारित किया है। इसलिये आलोच्य निर्णय तहत अदालत विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। निरस्त फरमाया जाये। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य व जवाब नोटिस पेश करने का कोई समुचित अवसर नहीं दिया। इसलिये भी आलोच्य निर्णय तहत अदालत विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित पीडित पक्षकार को बिना सुने होने से

अतिरिक्त जि.प्र. कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

निरस्त किये जाने योग्य हैं। निरस्त फरमाया जावे। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय खिलाफ तथ्य, कानून, मौका, रिकार्ड प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए, पारित किया गया है। जिससे निरस्तनीय है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य वाक्यात दौराने बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जायेंगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर कि आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, अलवर दिनांक 22.12.2025 प्रकरण संख्या 18/2025 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त फरमाया जावें। तथा अपीलाण्ट को नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के भार से मुक्त फरमाया जावें। व अन्य उचित आज्ञा जो न्यायसंगत हों, बहक अपीलाण्ट विरुद्ध रैस्पाडेन्ट सादिर फरमाई जायें। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि हमने रास्ते की भूमि पर कोई अवैध कब्जा या बाजरा की काश्त नहीं की है। पटवारी की रिपोर्ट बिना मौका मुआयना और बिना पैमाइश के तैयार की गई है। खसरा नं. 260 व 261 के खातेदारों के साथ मिलकर गलत पैमाइश की गई। सीमाज्ञान के समय अपीलकर्ता को कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। तहसीलदार न्यायालय ने अपीलकर्ता को जवाब पेश करने या साक्ष्य देने का उचित अवसर दिए बिना ही एकपक्षीय तरीके से 'साइक्लोस्टाइल' / छपे-छपाए फॉर्म पर आदेश पारित कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। विवादित भूमि के पास पहले से ग्रेवल सड़क बनी हुई है और रास्ता चालू है। पैमाइश के समय फसल खड़ी थी, जिसमें तकनीकी रूप से सटीक पैमाइश संभव नहीं थी। अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नं. 120, 123, 124 पर काश्त कर रहा है, न कि सरकारी रास्ते पर। अतः धारा 91 की कार्यवाही अवैध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अदालत के निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि पटवारी हल्का झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा संवत 2002, खरीफ में ग्राम झालाटाला की आराजी खसरा न0 259 किस्म गैर मुमकिन रास्ता कुल रकबा 2.63 है0 में से 0.03 है पर बाजरा काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ है। पटवारी की अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ में प्रकरण दर्ज होकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किए गये किन्तु अतिक्रमी न तो न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही कोई जबाब पेश किया। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी घोषित करते हुए शास्ति राशि 8 रूपये आरोपित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने के आदेश पारित किया गया जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 259 रकबा 2.63 है0 की किस्म गैरमुमकिन रास्ता है। पटवारी हल्का झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा संवत 2002, खरीफ में ग्राम झालाटाला की आराजी खसरा न0 259 किस्म गैर मुमकिन रास्ता कुल रकबा 2.63 है0 में से 0.03 है पर बाजरा काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा अपीलांट को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। अपीलांट के उपस्थित न होने पर एकतरफा कार्यवाही कर बेदखली व शास्ति/पेनल्टी का आदेश पारित किया गया, जिसमें कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार गैर मुमकिन रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटा

सकता है। यह पूरी तरह विधि-सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 18/2025 में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 22.12.2025 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मगणढ द्वारा प्रकरण संख्या 18/2025 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज0)

